न्यायालय सिविल जज जू०डि०, खलीलाबाद स्थान– बस्ती

मूलवाद सं० ३५५/२००६

रामशंकर बनाम भगवानदास आदि

२९.०८.२०१९

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र ६२क२ पर सुना–

प्रार्थनापत्र ६२क२ इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दावा दाखिला के समय कुछ तथ्य लिखने से छूट गया है, जिसकी जानकारी गवाही हेतु बयान हल्फी तैयार कराते समय हुई कि बैनामा से कुछ आराजी हम वादी प्राप्त किए हैं, जिसको दावे में अंकित नहीं कर पाये हैं। अतः बैनामे के तथ्य को जरिए संशोधन वादपत्र में अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रतिवादी द्वारा आपत्ति दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि दरख्वास्त तरमीम स्वीकार होने से वाद की प्रकृति परिवर्तित हो रही है। दरख्वास्त तरमीम के जरिए नया तथ्य जोड़ा जा रहा है। बैनामा निरस्तीकरण का उपचार इस दावे में नहीं मांगा जा सकता है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज होने योग्य है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि वादी द्वारा प्रार्थनापत्र ६२क२, बैनामा मंसूखी का उपचार एवं तत्सम्बन्धी संशोधन वादपत्र में समावेशित किए जाने के आशय से दिया गया है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। संशोधन प्रार्थनापत्र के स्वीकार किए जाने से वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि वाद बहुलता कम होगी। अतः प्रतिवादी द्वारा उठायी गयी आपत्ति के दृष्टिगत प्रार्थनापत्र ६२क२ हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र ६२क२ मु० १००/– रूपए हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त वादोत्तर/अतिरिक्त वादबिन्दु दिनांक ०८.११.२०१९ को पेश हो।

सिविल जज जू०डि०,
खलीलाबाद स्थान–बस्ती